

pan>

Title: Introduction of the Prevention of Trafficking of Girl Child for Commercial Purposes Bill, 2015.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि बालिकाओं को वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए विभिन्न तरीकों से देह व्यापार के लिए मजबूर करके और साइसिक पर्यटन अथवा अन्यथा की आड़ में स्वच्छंद यौन कृत्यों के लिए इनके दुर्व्यापार के निवारण का तथा ऐसे वाणिज्यिक दुर्व्यापार के लिए मृत्युदंड सहित भयपरतिकारी दंड का उपबंध करने तथा तत्संस्त और आनुभांगिक विधायों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. DEPUTY SPEAKER: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for the prevention of trafficking of girl child for commercial purposes by forcing her into prostitution or for promiscuous sexual acts in the garb of adventures tourism or otherwise and for providing deterrent punishment including capital punishment for such commercialized trafficking and for matters connected therewith and incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री राजेश रंजन : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूँ।

-
15.47 ½ hrs